Academe *Journal of Education & Psychology*
Volume-14, Issue-2, Year-2024 (July-December)
PP: 25- 32 *ISSN No: 2249-040X*

पंचायती राज निकायो में बैतूल जिले की अनुसूचित जनजातीय महिला वर्ग की राजनीतिक भागीदारी

गीता भलावी

शोधार्थी राजनीती वैज्ञान संकाय बरकतुल्लाह विश्विद्यालय

1. सारांश –

यह अध्ययन बैतूल जिले की पंचायती राज निकायों में अनुसूचित जनजातीय वर्ग की महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को रेखांकित करता है। प्रस्तुत शोध पत्र में बैतूल जिले की पंचायती राज निकायों में अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से संबंधित सभी पहलुओ को बड़े ही प्रासंगिक ढंग से स्पष्ट किया गया है। शहरी और स्थानीय सरकार संगठनों के राजनीतिक पहलू और संस्कृति में असमानता के कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को जमीनी स्तर पर राजनीतिक में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाएं शहरी तथा स्थानीय निकायों में सक्रिय नहीं हैं। तथापि ग्राम पंचायती राज संस्थाओं में विशेषकर निम्नतम स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। विगत चार दशको में भारतीय महिलाओं में राजनीतिक चेतना में उबाल आया है। उन्हें यह अनुभव हो गया है कि बगैर शासन सत्ता और शक्ति को पाए वे अपनी स्थिति को सुधार नही सकती है इसलिए राजनीति क्षेत्र में महिलाओं को भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। जिससें राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं सशक्त हो रही है।

2. मुख्य शब्द – पंचायती राज स्थानीय निकाय भारतीय संविधान सरकारी संगठन

प्रस्तावना –

महिलाओं का प्रत्येक देश की राजनीति में एक अलग स्थान होता है। महिलाएं राजनीति में प्राचीन समय से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। इसलिये इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता है कि प्राचीन समय में महिलाओं की राजनीति में जितनी भागीदारी थी। उतनी कभी नहीं रही। बेशक राजनीति में चाणक्य जैसे महान राजनीतिक जैसी कोई महिला सामने न आई हो। परन्तु बहुत सी महिलाओं ने इस क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका का प्रदर्शन किया है तथा आज भी कर रही हैं।प्रस्तुत शोध अध्ययन बैतूल जिले की जनजातीय महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी से है बैतूल जिले के दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर में नर्मदा घाटी और दक्षिणमें बरार का मैदान है। यह जिला 21''22′ से 22''23′ उत्तरी अक्षांश एवं 77''–10′ से 78''–33′ देशांत्तर के मध्य स्थित हैं। इसके उत्तर में होशंगाबाद जिला, दक्षिण में अमरावती जिला, पूर्व में छिंदवाड़ा जिला और पश्चिम में पूर्व निमाड़ (खण्डवा) जिला है। यह जिला जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन के अंतर्गत जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन किया गया है। जनजातीय समाज में जो सामूदाय मातृसत्तात्मक है। वहां महिलाओं की राजनीति में भागीदारी देखने को मिलती है यदि देखा जाए तो 33%सामान्य समाज में भी महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बहुत कम है। तो जनजातीय महिलाओं की क्या होगी। परन्तु राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिये सरकार समय–समय पर उनके लिये योजनाएं आरंभ कर रही है। भारतीय संसद में ग्राम पंचायती राज कानून यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रोंकी महिलाएं राजनीतिक रुप से अधिक शिक्षित हो गई है। परंतु फिर भी कहीं–कहीं पर यह असमानता साफ देखी जा सकती है। बैतूल जिले की पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं की भागीदारी पर शोध से पता चला है कि जनजातीय महिलाएं राजनीतिक तौर पर अभी भी शिक्षित नहीं है। भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन अनुसूचित जनजातीय समाज की रुढ़िवादी विचारधारा के कारण महिलाओं को उनके अधिकारो का ज्ञान नहीं होता तथा कारण वह अपने अधिकारो का प्रयोग नही कर पाती।

पंचायते मुख्य रुप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ''स्थानीय शासन'' राज्य का एक विषय है। पंचायतें संबंधित राज्य के पंचायतीराज अधिनियमों के माध्यम से स्थापित और संचालित होती है। हालांकि, पंचायतीराज को इसके अधिदेश के अनुरुप, स्थानीय शासन, सामाजिक परिवर्तन और स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए एक प्रभावी, कुशल और पारदर्शी माध्यम बनाने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय अपनी प्रमुख नीति के माध्यम से हर संभव प्रयास करता है।

बैतूल जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना अनुसार

1. वास्तविक जनसंख्या – 1575247
2. पुरुष –799721
3. महिला – 775526
4. जनसंख्या वृद्धि – 12.91
5. जनसंख्या का अनुपात –2.17
6. लिंगानुपात –970

पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक प्रावधन – भाात में प्राचीनकाल से चली आ रही स्थानीय स्वशासन की परम्परा और विभिन्न स्थानीय स्वशासन की विचारधारा को संवैधानिक रुप स्वतंत्रता के लगभग 47 वर्षो बाद 73 वे संधिान संशोधन, 1992 के रुप में दिया जा सका जो की 22 दिसम्बर, 1942 लोकसभा 23 दिसम्बर, 1992 राजसभा द्वारा पारिता होने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा के द्वारा 20 अप्रैल 1993 के हस्ताक्षर करने के उपरांत 24 अप्रैल 1993 को एक अधिसूचना के जरिए यह अधिनियम लागू हो गया, जो संविधान के भाग – 9 व एक नई अनुसूचि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचाती राज व्यवस्था का विधिक रूप सें संविधान में प्रावधान किया गया । संवैधानिक प्रावधान के बाद राज्य सरकारों के द्वारा शीघ्र ही पंचायती राज पर नए अधिनियम पारित किए गये। कर्नाटक, मध्यपदेश और राजस्थान में क्रमशः 1993 एवं 1994 में पंचायती राज पर नए अधिनियम पारित किये गये है। सुभाष कश्यप के शब्दों में ''सभी राज्यों ने सालभर के भीतर संविधान के आदेशानुसार अपने–अपने कानून बना लिऐ थे''। अधिकांश राज्यों में स्थानीय संस्थानों के निर्वाचन भी हो गए अथवा हो रहे है।

73 वें संविधान संशोधन 1992 को विधिवत कानूनी रूप से संविधान में निम्न प्रकार से दिया गया ।

1. अनुच्छेद, 243 पंचायती राज की परिभाषा व त्रिस्तरीय स्वरूप का उल्लेख।
2. अनुच्छेद, 243 (क) ग्राम सभा–ग्राम सभा स्तर पर शक्तियों व कार्यो का उल्लेख।
3. अनुच्छेद, 243 (ख) पंचायतों का गठन – प्रत्येक राज्य के ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा।
4. अनुच्छेद, 243 (ग) पंचायतों की संरचना – इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध कर सकेगा।
5. अनुच्छेद, 243 (घ) स्थानों का आरक्षण – अनूसचित जाति व अनुसचित जनजातियो के लिये पंचायत में संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था होगी तथा 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान उल्लेखित है।
6. अनुच्छेद, 243 (ड़)पंचायतों का कार्यकाल – प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। इससे अधिक नहीं, किसी पंचायत के विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व निर्वाचन पूरा किया जाएगा तथापि जहां वह शेष अवधि जिसके लिये कोई विघटित पंचायत बनी रहती है। ऐसी अवधि के उस पंचायत का गठन करने के लिये इस खण्ड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई पंचायत शेष अवधि तक बनी रहेगी।

7. अनुच्छेद 243 (च) सदस्यता के लिए निरर्हताएं – कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा।

   (क) यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है। परंतु काई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है,यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।

   (ख) यदि वह राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधी द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

8. अनुच्छेद 243 (छ) पंचायतों की शक्तियॉ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

   (क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना

   (ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को जो उन्हें सौपी जाए जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी है, जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है।

9. अनुच्छेद 243 (ज) पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियॉ और उनकी निधियां किसी राज्य की विधानमण्डल विधि द्वारा उद्धघोषित।

10. अनुच्छेद 243 (झ) वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान।

11. अनुच्छेद 243(ञ) पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा का उल्लेख।

12. अनुच्छेद 243(ट) पंचायतों के लिये निर्वाचन ।

13. अनुच्छेद 243(ठ) संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। इस भाग के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होगे। राष्ट्रपति लोक अधिसूचनाद्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे। जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करें।

14. अनुच्छेद 243(ड) इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना अनुच्छेद 244 में निर्दिष्ट अनूसूचित क्षेत्रों व जनजातिय क्षेत्रों को लागू नहीं होगा। यथा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम व मणिपुर राज्य से संबंधित है।

15. अनुच्छेद 243(ढ) विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, 73 वां संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत विधान मण्डलों के विधित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही तक।

16. अनुच्छेद 243(ण) निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन का उल्लेख।

इस प्रकार भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का भाग – 9 व अनुसूचि11 के रूप में अनुच्छेद 243 क से ण तक प्रावधान किया गया है।

3. शोध की प्रविधि –

प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन हेतु विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। जिसमें देव निर्दशन पद्धति के माध्यम से बैतूल जिले की अनुसूचित जनजातीय महिला वर्ग का चयन किया गया तथा उनसे प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर साक्षात्कार विधि के माध्यम से प्रश्न पूछकर तथ्यों का संकलन किया गया उसके पश्चात तथ्यों विश्लेषण किया गया।

4. शोध का उदेदश्य –

प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गत बैतूल जिले की अनुसूचित जनजातीय समुदाय की महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन किया गया है। जिसका उदेदश्य निम्नलिखित है।

- पंचायती राज निकायों में जनजातीय महिलाओं को अपने अधिकारो तथा कर्त्तव्यों का ज्ञान है या नही इसकी जानकारी प्राप्त की गई है।
- पंचायती राज निकायों में जनजातीय महिलाएं अपने आरक्षित सीटों पर खड़ी होकर चुनाव लड़ती है या नहीं यह ज्ञात किया गया।
- पंचायती राज निकायों में जनजातीय महिलाएं समय–समय पर होने वाली बैठको में भाग लेती है या नही इसकी जानकारी प्राप्त की गई।

प्रस्तुत शोध–पत्र की परिकल्पना –

- पंचायती राज निकायों में अनुसूचित जनजातीय महिलाएं अपने अधिकारो व कर्त्तव्यों का प्रयोग करती है।
- अनुसूचित जनजातीय वर्ग की महिलाएं राजनीतिक सभाओं व रैलियों में भाग लेती है।
- अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाएँ अपने विवेक से मतदान का प्रयोग करती है।

शोध का महत्व – बैतूल जिले के जनपद पंचायत भीमपुर की अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं का पंचायती राज निकायों में राजनीतिक भागीदारी के अध्ययन का महत्व निम्न है।

- प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग की राजनीतिक शिक्षा के ज्ञान का पता लगायागया है। जिससे उन्हें राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
- इस शोध कार्य के माध्यम से जनजातिय महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी में आने वाली समस्याओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने के लिए प्रयास किया जा सकता है।
- प्रस्तुत् शोध पुत्र के माध्यम से जनजातीय महिला वर्ग में राजनीतिक चेतना का विकास किया जा सकता है।

तथ्य विश्लेषण एवं आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण –

प्रस्तुत् शोध–पत्र के अध्ययन के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि बैतूल जिले की अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं की पंचायती राज निकायों में राजनीतिक भागीदारी का कार्य पद्धति को केन्द्र में रखकर यह शोध कार्य किया गया है। प्रस्तुत शोध बैतूल जिले की अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं पर विशेष रूप से केन्द्रित है। अध्ययन विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई है। तथ्य संकलन हेतु 50 जनजातीय महिलाओं का चयन किया गया है। जिनसे प्रश्नावली माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार विधि के माध्यम से उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष प्रश्न पूछकर तथ्यों का संकलन किया गया है। तथ्यों के संकलन का कार्य नवम्बर 2023 में किया गया है।

तालिका क्रमांक 1

1. क्या अनुसूचित जनजातिय वर्ग की महिलाओं को अपने राजनीतिक अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान है।

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	30	60
2	नहीं	20	40
	योग	**50**	**100**

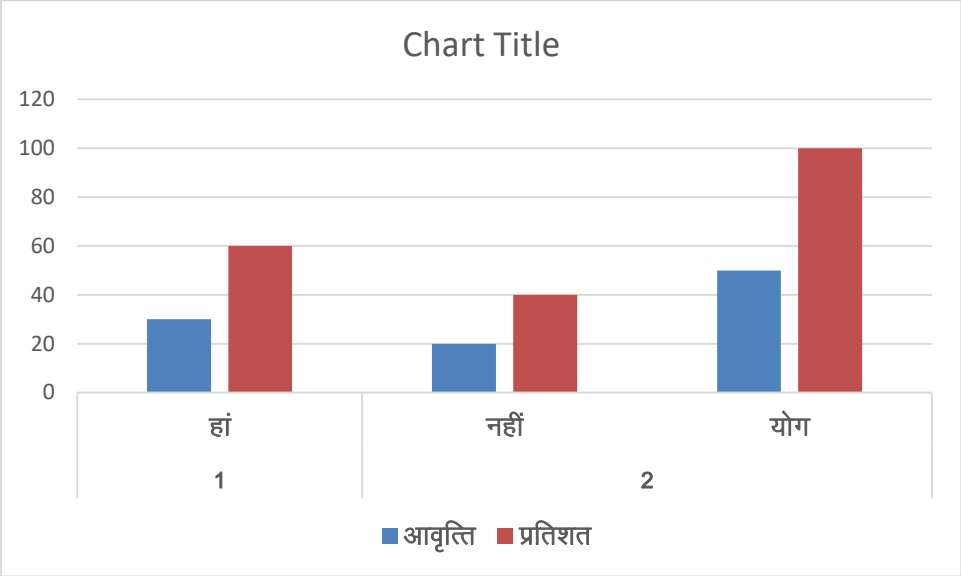

विश्लेषण –

तालिका क्रमांक 1के ऑकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों का ज्ञान है कुल 50 महिला उत्तरदाताओंके चुनाव में से 30 महिला उत्तरदाताओं (60 प्रतिशत) ने कहा है कि उन्हें अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों का ज्ञान है जबकि 20 महिला उत्तरदाता (40 प्रतिशत) महिला उत्तरदाताओं ने कहा है कि उन्हें अपने राजनीतिक अधिकारों व कर्त्तव्यों का ज्ञान नही है।

2. अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाएं अपने मत का प्रयोग अपने विवेक से करती है ?

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	स्वयं के विवेक से	25	50
2	परिवार के परामर्श पर	20	40
3	अन्य द्वारा	5	10
	योग	50	100

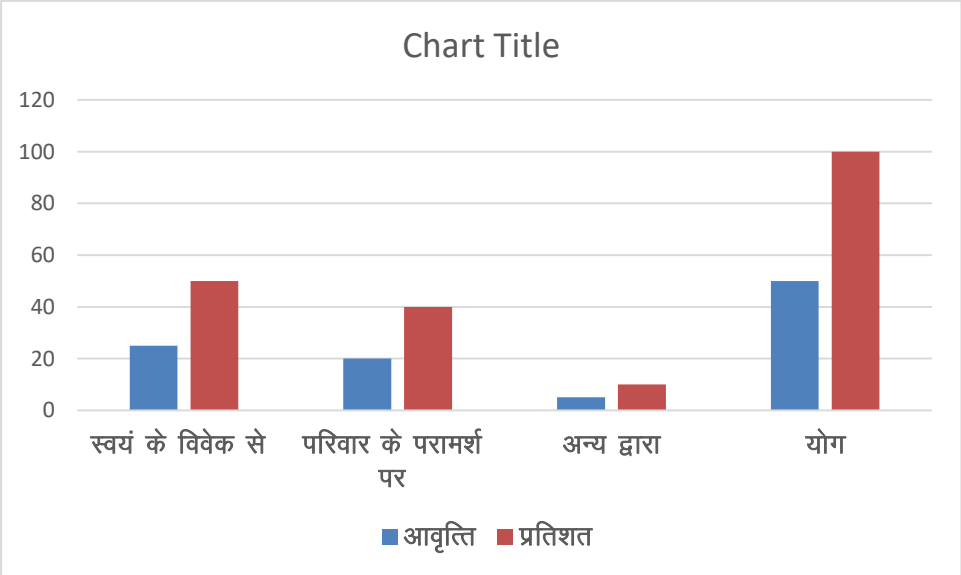

विश्लेषण –

तालिका क्रमांक 2 के आकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाएं अपने मत का प्रयोग स्वयं के के विवेक से करती है या नहीं कुल 50 उत्तरदाताओं में से 25 (50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा किवह स्वयं के विवेक से अपने मत का प्रयोग करती है तथा 20 (40 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपने परिवार के परामर्श पर मतदान किया है। इसके पश्चात 5 (10 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अन्य के परामर्श पर अपने मतदान का प्रयोग किया है।

3. अनुसूचित जनजाति वर्गकी महिलाएं ग्राम पंचायत की बैठकों में उपस्थित रहती है।

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हॉ	40	80
2	नहीं	10	20
	योग	50	100

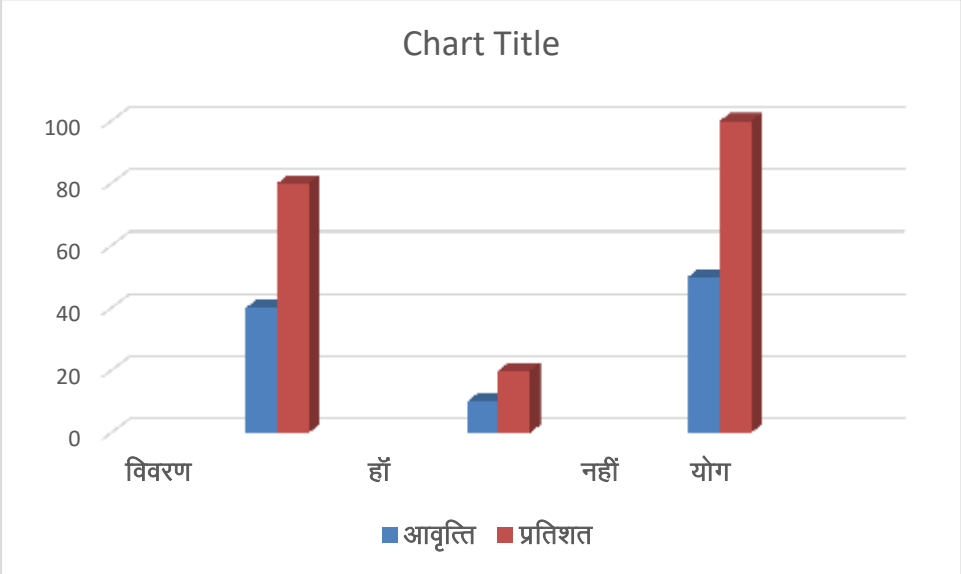

विश्लेषण –

तालिका क्रमांक 3 के ऑकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 40 (80 प्रतिशत) उतरदाताओं द्वारा ग्राम पंचायत की होने वाली बैठकों में भाग लेती है तथा 10 (20 प्रतिशत) उतरदाता ग्राम पंचायत की बैठकों में भाग नहीं लेती है।

4. जनजातीय वर्ग की महिलाओं के राजनीतिक पिछड़ेपन का कारण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अशिक्षा	10	20
2	रूढ़िवादी विचारधारा	10	20
3	राजनीतिक अशिक्षा	20	40
4	अन्य	10	20
	योग	50	100 %

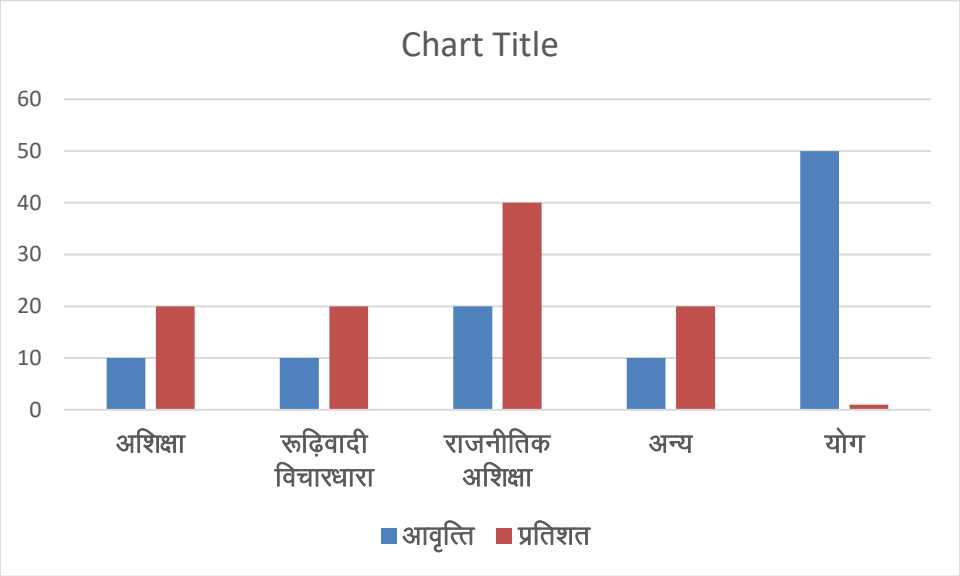

विश्लेषण –

तालिका क्रमांक 4 के ऑकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि राजनीतिक पिछड़ेपन के कारण में 10(20%) उत्तरदाताओं द्वारा अशिक्षा, 10(20%) उत्तरदाताओं ने रुढ़िवादी विचारधारा, 20(40%) उत्तरदाताओं द्वारा राजनैतिक अशिक्षा तथा 10(20%) अन्य कारण बताये हैं।

शोध निष्कर्ष –

भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किये है आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में दुर्बल और वंचित समुदायों के विकास के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना एक आवश्यक शर्त के रुप में देखा जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि जैसे –जैसे स्त्रियों को राजनीति में हिस्सा लेने के अवसर प्राप्त होते है सरकार के सामने अपनी समस्यों को रखने और उनके प्रभावी समाधान के तरीके विकसित करने में उनकी भूमिका बढ़ने लगती है। राजनीतिक भागीदारी सामाजिक – आर्थिक शक्ति का भी आधार है। इसी मान्यता के आधार पर स्वतंत्र भारत के संविधान में अगस्त 1990 से अन्य पिछड़े वर्गो के लिए भी राजकीय सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी। भारत की अनेक राज्य सरकारों ने पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की नीति को लागू कर दिया गया है। इसे व्यावहारिक रुप देने के लिए सबसे पहले ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की नीति अपनायी गयी इसके लिए सन् 1992 में संविधान में 73 वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए एक – तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गयी। इसी वर्ष संविधान के 74 वें संशोधन के द्वारा नगरपालिकाओं में भी महिलाओं के लिए एक – तिहाई आरक्षण दिया गया।

बैतूल जिले की अनुसूचित जनजातीय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी विषय शोध पत्र के अध्ययन के पश्चात यह ज्ञात हुआ की जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरुकता है। जिसमें शिक्षित महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी है। जनजातीय महिलाओं अशिक्षित महिलाओं में राजनीतिक जागरुकता का अभाव देखा गया है। पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जनजातीय महिलाओं के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्यायका बीज पड़ चुका है। किंतु यह भी सत्य हैं कि इसमें बाधाएँहै। पंचायती राज चुनाव से आरक्षित अनुसूचित जनजातीय महिलाओं की सीट से निचले स्तर पर पंच व संरपंच का चुनाव जीतकर आयी है। त्रिस्तरीय चुनाव से अवसर प्राप्त पर अधिकांश अनुसूचित जनजातीय महिलाएँ ऐसी होती है। ग्रामीण दलित महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत ही कम बोलने दिया जाता है। भारत में स्थानीय पंचायत में दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए कोटा प्रणाली है लेकिन इनमें दलित महिलाओं की भूमिका दलित पुरुषों के अधीनस्थ है। जो दलित महिलाएं पंचायत में अपनी शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास करती है उन्हें पुरुषों और प्रमुख जाति द्वारा

प्रतिक्रिया, दबाव और कभी – कभी हिंसा का सामना करना पड़ता है अधिकांश उदाहरणों में एक दलित महिला पंचायत में अपनी आवाज उठाने का काई सार्मथ्य नही जुटा पाती है। क्योंकि उसका पति उसका प्रतिनिधित्व करता है और निर्णय लेता है। इस कारण दलित महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ जाती है। तथा उन्हें आगो बढ़ने नहीं दिया जाता।

संदर्भ ग्रथ

1. सोलंकी, डॉ. रानी प्रभा, (2021), ''भारतीय महिलाएँ, महिला सशक्तिकरण एवं महिला सहकारिता,'' के. के. पब्लिकेशन नई दिल्ली।
2. कुमारी, सीमा, (2003), ''महिला अधिकार और भारतीय प्रावधान'' उपकार प्रकाशक।
3. सिंह, जे. पी., (2023), ''आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, 21 वीं सदी में भारत '' प्रकाशक पी. एच. लर्निंग प्रायवेट लिमिटेड।
4. उपाध्याय, डॉ. संतोष कुमार, (2023) '' भारत में राजनीतिक प्रक्रिया '' प्रकाशक जे. ई. सी. पब्लिकेशन।
5. दमेले, डॉ. मंजरी, गुप्ता, डॉ. कमलेश, (2021) ''समसामयिक लोक प्रशासन '' के. के. पब्लिकेशन।
6. जैन, डॉ. कामिनी, (2023) ''महिला सशक्तिकरण, चुनौतियॉ एवं समाधान '' शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर छत्तीसगढ़।
7. कौशिक, आशा, (2004) ''नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ '' जबलपुर पाइंटर।
8. यादव, एम. एस., (1994) ''आदिवासी समुदाय में स्वास्थ्य के कुछ पक्ष '' जयपुर रायत पब्लिकेशन।
9. कुमारी, डॉ. वीणा, (2024) ''शहरी क्षेत्र में शिक्षित वर्ग की महिलाओं के मानवाधिकारों की स्थिति क्षेत्र अध्ययन '' बी. एफ. सी. पब्लिकेशन प्रायवेट लिमिटेड।
10. श्री वास, अजय कुमार, (2023) ''महिला सशक्तिकरण में पुस्तकालय की भूमिका '' श्री विनायक पब्लिकेशन।
11. आर्य, डॉ. राकेश, (2020) ''महिला सशक्तिकरण और भारत '' प्रकाशक डायमंड पॉकेट बुक प्रायवेट लिमिटेड।
12. सिंह, डॉ. मनमोहन, गुजराल इंद्रकुमार, नाकादार ए. एस., सिंह विश्वनाथ, पासवान रामविलास, अन्तुले ए. आर. (2008) ''दलित अल्पसंख्यक सशक्तिकरण '' प्रकाशक राजकमल प्रायवेट लिमिटेड।
13. मैथ्यु जार्ज(2007) ''भारत में पंचायती राज परिपेक्ष्य संस्थाऍ अतीत वर्तमान और भविष्य'' जयपुर नेशनल पब्लिशिंग हाउस।
14. पाण्डेय, ब्रज कुमार(2013) ''दलित समस्या की राजनीति'' नई दिल्ली अभिधा प्रकाशन भारतीय सामाजिक संस्थानं
15. दत्त, महेश्वर, (2005) गाँधी अम्बेडकर एवं दलित '' नई दिल्ली राधा पब्लिकेशन।